**आईपी – 2**

## अखंडता संधि

**बीच में**

एमएसटीसी लिमिटेड, इसके बाद, "एमएसटीसी" के रूप में संदर्भित,

और

..... इसके बाद "क्रेता/विक्रेता" के रूप में संदर्भित

**<u>प्रस्तावना</u>**

जबकि, एमएसटीसी विभिन्न वस्तुओं के निपटान/बिक्री/बुकिंग/खरीद के उद्देश्य से एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है;

और

जबकि, एमएसटीसी सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों, और संसाधनों के किफायती उपयोग के सिद्धांतों, और अपने प्रिंसिपलों के साथ अपने संबंधों में निष्पक्षता और पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

इसके अनुसरण में, सत्यनिष्ठा संधि के निम्नलिखित खंड लागू होंगे और यह दस्तावेज हमारे बीच एजेंसी संधि का एक अभिन्न अंग माना जाएगा।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एमएसटीसी प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन "ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल" (टी आई) से सहयोग मांग सकता है। टी आई के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के बाद, एमएसटीसी एक बाहरी स्वतंत्र मॉनिटर नियुक्त कर सकता है जो ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुपालन के लिए निविदा/नीलामी/ई-नीलामी/ई-बिक्री/ई-बुकिंग प्रक्रिया और अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेगा।



**<u>धारा - 1 एमएसटीसी की प्रतिबद्धताएं</u>**

एमएसटीसी भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है: -

क) एमएसटीसी का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, निविदा के संबंध में, या अनुबंध की मांग के निष्पादन के संबंध में, अपने लिए या तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी सामग्री या अभौतिक लाभ के लिए कोई वादा स्वीकार नहीं करेगा, जो वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

ख) एमएसटीसी, निविदा/नीलामी/ई-नीलामी/ई-बिक्री/ई-बुकिंग प्रक्रिया के दौरान, सभी खरीदारों/विक्रेताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी खरीदार/विक्रेता को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से क्रेता/विक्रेता निविदा/नीलामी/ई-नीलामी/ई-बिक्री/ई-बुकिंग प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में लाभ प्राप्त कर सकता है।

ग) एमएसटीसी सभी ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर कर देगा।

यदि एमएसटीसी को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो भारत के संबंधित भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के तहत एक आपराधिक अपराध है, या यदि इस संबंध में कोई वास्तविक संदेह है, तो एमएसटीसी सतर्कता कार्यालय को सूचित करेगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

**<u>खंड - 2 क्रेता/विक्रेता की प्रतिबद्धताएं</u>**

क्रेता/विक्रेता भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है। वह निविदा/नीलामी/ई-नीलामी/ई-बिक्री/ई-बुकिंग/ई-खरीद प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।



।) क्रेता/विक्रेता, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, एमएसटीसी को निविदा/नीलामी/ई-नीलामी/ई-बिक्री/ई-बुकिंग प्रक्रिया या निष्पादन में शामिल किसी भी कर्मचारी को प्रस्ताव, वादा या

प्रस्ताव नहीं देगा। अनुबंध के निष्पादन या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी सामग्री या अभौतिक लाभ, जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, ताकि बदले में निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन के दौरान एक लाभ प्राप्त किया जा सके।

II) क्रेता/विक्रेता अन्य क्रेता(ओं) के साथ किसी भी अवैध करार या समझौते में प्रवेश नहीं करेगा, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, प्रस्तुत करने या बोलियों को प्रस्तुत न करने या प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिबंधित करने के कार्यों पर लागू होता है।

III) क्रेता/विक्रेता भारत के प्रासंगिक भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत कोई आपराधिक अपराध नहीं करेगा; इसके अलावा, क्रेता/विक्रेता प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा, या दूसरों को, व्यावसायिक संबंधों के हिस्से के रूप में एमएसटीसी द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रसारित जानकारी शामिल है, का उपयोग नहीं करेगा।

IV) क्रेता/विक्रेता, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अपने द्वारा किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेगा, जो अनुबंध के निर्णय के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य बिचौलियों को करने के लिए प्रतिबद्ध है या करने का इरादा रखता है।

V) क्रेता/विक्रेता किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए नहीं उकसाएगा या ऐसे अपराधों का सहायक होगा।

## <u>खंड - 3 निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता और भविष्य के अनुबंधों से बहिष्करण</u>

यदि क्रेता, अनुबंध प्रदान करने से पहले, ऊपर की धारा 2 के उल्लंघन के तहत या किसी अन्य रूप में गंभीर उल्लंघन करता है, जैसे कि क्रेता के रूप में उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाने के लिए, एमएसटीसी क्रेता को निविदा//ई-नीलामी/ई-बिक्री/ई-बुकिंग प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने का हकदार है या अनुबंध को समाप्त करने के लिए, यदि पहले से ही हस्ताक्षरित है, तो ऐसे कारण से।

i) यदि क्रेता/विक्रेता ने ऊपर की धारा 2 के उल्लंघन के तहत एक गंभीर उल्लंघन किया है, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगे, एमएसटीसी खरीदार/विक्रेता को भविष्य की अनुबंध प्रक्रियाओं से बाहर करने का भी हकदार है। बहिष्करण का अधिरोपण और अवधि उल्लंघन की गंभीरता

से निर्धारित की जाएगी।गंभीरता मामले की परिस्थितियों, विशेष रूप से उल्लंघन की संख्या, क्रेता के कंपनी पदानुक्रम के भीतर उल्लंघनकर्ताओं की स्थिति और क्षति की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाएगी।अपवर्जन कम से कम 6 महीने और अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जाएगा।

ii) यदि क्रेता/विक्रेता यह साबित कर सकता है कि उसने अपने द्वारा हुए नुकसान की भरपाई/प्रतिपूर्ति की है और एक उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित की है, तो एमएसटीसी समय से पहले अपवर्जन को रद्द कर सकता है।

iii) यदि उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में कोई उचित संदेह संभव नहीं है तो एक उल्लंघन माना जाता

**<u>खंड - 4 नुकसान के लिए मुआवजा</u>**

1- यदि एमएसटीसी ने उपरोक्त धारा 3 के अनुसार निविदा/नीलामी/ई-नीलामी/ई-बिक्री/ई-बुकिंग प्रक्रिया प्रस्ताव से पहले खरीदार को अयोग्य घोषित कर दिया है, तो एमएसटीसी



खरीदार से मूल्य के 3% के बराबर हर्जाने की हर्जाना का परिसमापन करने का हकदार है।

2- यदि एमएसटीसी ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त कर दिया है, या यदि एमएसटीसी धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है, तो एमएसटीसी विक्रेता से अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर हर्जाने की मांग करने का हकदार होगा।

3- यदि क्रेता/विक्रेता यह साबित कर सकता है कि क्रेता को निविदा/नीलामी/ई-नीलामी/ई-बिक्री/ई-बुकिंग प्रक्रिया से बाहर करने या अनुबंध की समाप्ति के बाद अनुबंध की समाप्ति के कारण राशि से कोई नुकसान या कम नुकसान नहीं हुआ है, परिसमाप्त नुकसान की तुलना में तो क्रेता/विक्रेता को केवल साबित की गई राशि में क्षति की क्षतिपूर्ति करनी होगी।यदि एमएसटीसी साबित कर सकता है कि क्षति की राशि अनुबंध पुरस्कार से पहले क्रेता की अयोग्यता के कारण या अनुबंध की समाप्ति के बाद अनुबंध पुरस्कार परिसमाप्त नुकसान की राशि से अधिक है, यह नुकसान की उच्च राशि के लिए मुआवजे का दावा करने का हकदार है।

**<u>खंड - 5 पिछला उल्लंघन</u>**

1- क्रेता घोषणा करता है कि पिछले 3 वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ T। दृष्टिकोण के अनुरूप या भारत मे किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ पिछला कोई उल्लंघन नहीं हुआ है,जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को सही ठहरा सकता है।

2- यदि खरीदार इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या अनुबंध, यदि पहले से ही प्रदान किया गया है, तो ऐसे कारण से समाप्त किया जा सकता है।



**<u>खंड - 6 सभी क्रेता(ओं)/विक्रेता(ओं) के साथ समान व्यवहार)</u>**

1. क्रेता/विक्रेता सभी उप-ठेकेदारों से इस अखंडता संधि के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे एमएसटीसी को प्रस्तुत करने का वचन देता है।

2. एमएसटीसी समान शर्तों के साथ अनुबंध करेगा, जैसा कि यह सभी क्रेता (ओं), विक्रेता (ओं) के साथ है।

3. एमएसटीसी उन सभी क्रेताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

**<u>खंड - 7 उल्लंघन करने वाले क्रेता/विक्रेता के विरुद्ध आपराधिक आरोप</u>**

यदि एमएसटीसी को किसी क्रेता, विक्रेता या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या खरीदार, विक्रेता के सहयोगी के आचरण का ज्ञान प्राप्त होता है, जो भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि एमएसटीसी को इस संबंध में पर्याप्त संदेह है, तो एमएसटीसी सतर्कता कार्यालय को सूचित करेगा।

**खंड - 8 बाह्य स्वतंत्र परिवीक्षक**

1- एमएसटीसी इस समझौते के लिए सक्षम और विश्वसनीय बाहरी स्वतंत्र परिवीक्षक नियुक्त कर सकता है। ऐसे मामले में परिवीक्षक का कार्य स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना है कि क्या और किस हद तक पार्टियां इस समझौते के तहत दायित्वों का पालन करती हैं।

2- परिवीक्षक पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं है और तटस्थ और स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करता है, वह एमएसटीसी के बोर्ड के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है।

3- परिवीक्षक के पास एमएसटीसी के सभी परियोजना प्रलेखन पर बिना किसी प्रतिबंध के पहुंच का अधिकार है। विक्रेता, उसके अनुरोध और वैध हित के प्रदर्शन पर, उसके प्रोजेक्ट दस्तावेज़ीकरण तक असीमित पहुंच प्रदान करेगा। खरीदार/विक्रेता की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ व्यवहार करने के लिए परिवीक्षक संविदात्मक दायित्व के अधीन है।

4- एमएसटीसी परिवीक्षक को परियोजना से संबंधित पार्टियों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, क्योंकि बैठकें एमएसटीसी और विक्रेता के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव डाल सकती हैं। पार्टियां परिवीक्षक को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करती हैं।

5- जैसे ही परिवीक्षक नोटिस करता है, या इस समझौते के उल्लंघन को नोटिस करता है, वह एमएसटीसी के प्रबंधन को सूचित करेगा और प्रबंधन से उल्लंघन को रोकने या ठीक करने, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। इस संबंध में परिवीक्षक गैर-बाध्यकारी सिफारिशों को विषय बना सकता है। इसके अलावा, परिवीक्षक को पार्टियों से यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे एक विशिष्ट तरीके से कार्य करें, कार्रवाई से परहेज करें या कार्रवाई को सहन करें।

6- परिवीक्षक नियमित रूप से एमएसटीसी के बोर्ड के अध्यक्ष को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, यदि अवसर आता है, समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। नियमित रूप से एमएसटीसी के बोर्ड के अध्यक्ष को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, यदि अवसर आता है, समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

7- यदि परिवीक्षक ने बोर्ड के अध्यक्ष को भारत के प्रासंगिक भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के तहत किसी अपराध के एक प्रमाणित संदेह की सूचना दी है, और अध्यक्ष ने उचित समय के भीतर इस तरह के अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दृश्यमान कार्रवाई नहीं की है या सतर्कता कार्यालय को इसकी सूचना दी है , परिवीक्षक इस सूचना को सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, भारत सरकार को भी प्रेषित कर सकता है।

**<u>खंड - 9 संधि अवधि</u>**

यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्षों ने कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संबंधित अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान के 12 महीने बाद विक्रेता के लिए समाप्त हो जाता है, और अनुबंध दिए जाने के 6 महीने बाद अन्य सभी खरीदारों के लिए समाप्त हो जाता है।

**<u>खंड - 10 अन्य प्रावधान</u>**

1- यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। प्रदर्शन का स्थान और क्षेत्राधिकार एमएसटीसी का कॉर्पोरेट कार्यालय है ।

2- परिवर्तन और पूरक के साथ-साथ समाप्ति नोटिस लिखित रूप में किए जाने की आवश्यकता है। पक्ष समझौते नहीं किए गए हैं।

3- यदि विक्रेता एक साझेदारी या एक संघ है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

4- यदि इस अनुबंध के एक या अधिक प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस अनुबंध का शेष भाग वैध रहता है। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादों के लिए एक समझौते पर आने का प्रयास करेंगी।

_____ _____

एमएसटीसी के लिए क्रेता/विक्रेता के लिए

जगह : _____

दिनांक : _____

गवाह 1 : _____

गवाह 2 : _____